कृषि जैवविविधता प्रबंधन पर दिल्ली घोषणा-पत्र

इंडियन सोसाइटी ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज

बॉयोवर्सिटी इंटरनेशनल

http//:www.iac2016.in

नई दिल्ली में ६ से ९ नवम्बर, २०१६ के दौरान सम्पन्न प्रथम अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस में ६० देशों के ९०० से अधिक प्रतिभागियों ने सहभागिता की। इस कांग्रेस में आए प्रतिनिधियों ने १६ तकनीकी सत्रों, चार सेटेलाइट सत्रों, एक जीनबैंक सम्मेलन, एक सार्वजनिक संगोष्ठी, एक किसान संगोष्ठी तथा पोस्टर सत्रों में जैवविविधता के संरक्षण, प्रबंधन, पहुच (एक्सेस) तथा उपयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। विस्तृत चर्चा के आधार पर प्रतिनिधियों ने ९ नवम्बर, २०१६ को समापन सत्र में निम्नलिखित घोषणा पत्र को एकमत से स्वीकार किया:

प्रस्तावना

- कृषि जैवविविधता में फसलों की किस्में, पशुधन तथा मत्स्य प्रजातियां, एवं कृषि के लिए उपयोगी कीट तथा सूक्ष्मजीव प्रजातियां सम्मिलित हैं। कृषि जैवविविधता से संबंधित आनुवंशिक संसाधनों के प्रलेखन, संग्रह, संरक्षण तथा उपयोग की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है किंतु अभी भी उनके दीर्घकालिक उपयोग, अधिक आदान–प्रदान तथा ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण की दिशा में काफी प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

- यदि इनका दीर्घकालिक संरक्षण और उपयोग किया जाए तो भूख, खाद्य असुरक्षा, कुपोषण तथा जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्याओं के समाधान में कृषि जैवविविधता महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है और इस प्रकार दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने तथा जैविक विविधता पर सम्मेलन के Aichi (आइची) लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो सकती है।

- नीतियों, निवेश, बुनियादी संरचना, तकनीकी क्षमता तथा विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय तथा साझेदारी की हदों ने अक्सर कृषि जैवविविधता के दक्षतम उपयोग को अवरुद्ध किया है। यह काफी चिंताजनक है क्योंकि अनुमान है कि पूरे विश्व को जहां आज लगभग 79.5 करोड़ लोग भूखे रहते हैं, 2050 तक 960 करोड़ लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 70 प्रतिशत अधिक अन्न की आवश्यकता होगी (एफएओ, 2015)। अतः कृषि जैवविविधता के उपयोग को बढ़ाने के लिए विश्व नेतृत्व तथा संगठनों द्वारा उच्च प्राथमिकता और नीतिगत सहयोग दिए जाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

- विश्व को जैवविविधता में तेजी से विलोपन का भी सामना करना पड़ रहा है। यह आकलन किया गया है कि पिछले 6.6 करोड़ वर्षों के दौरान किसी भी समय में होने वाले प्राकृतिक विलोपन की अपेक्षा प्रजातियों के लुप्त होने की मौजूदा दर 1,000 से लेकर 10,000 गुणा है जो कि मुख्यतः विस्फोटक जनसंख्या वृद्धि तथा प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन के कारण है। कृषि जैवविविधता का विलोपन तथा इससे सम्बद्ध पारंपरिक ज्ञान का अभाव एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है अतः इस पर अनिवार्य रूप से प्राथमिक ध्यान दिया जाना चाहिए। वास्तव में, किसी भी एक जीन का लुप्त होना हमारी भावी पीढ़ियों के लिए एक जबरदस्त नुकसान है।

घोषणा-पत्र

1. हम विश्व के राष्ट्रों से आवाहन करते हैं कि वे गरीबी उन्मूलन, खाद्य, पोषणिक तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, लैंगिक समानता तथा वैश्विक साझेदारी के लिए दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों (एसडीजी) तथा जैविक विविधता पर सम्मेलन (सीबीडी; कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी) के ऐची (Aichi) लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कृषि जैवविविधता के संरक्षण और इनके टिकाऊ उपयोग के लिए एक सांझा दृष्टि को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

2. हम किसानों तथा महिला कृषकों, चरवाहों, आदिवासी तथा ग्रामीण समुदायों के पास उपलब्ध पारंपरिक कृषि जैवविविधता संबंधी ज्ञान तथा सुरक्षित खाद्य तथा जलवायु सहयोगी अनुकूल विश्व के लिए इसके संरक्षण और उपयोग के महत्व को स्वीकार करते हैं। अतः हम सभी देशों का आह्वान करते हैं कि वे अपने सक्रिय सहयोग को बढ़ाने के लिए यथावश्यक विधिक, संस्थागत तथा निधिगत तंत्र को विकसित करें।

3. हम अनुसंधानकर्ताओं तथा नीति–निर्माताओं से यह अनुरोध करते हैं कि वे फसलों की जंगली प्रजातियों के उपयोग पर अधिक जोर देते हुए उनके उपयोग द्वारा कृषि जैवविविधता के संरक्षण हेतु अनुपूरक नीतियों को प्रारंभ कर उन्हें सशक्त करें तथा आगे बढ़ाएं। हम यह भी अनुरोध करते हैं कि वाह्य–स्थाने (एक्स–सिटू), स्व–स्थाने (इन–सिटू), खेतों पर, सामुदाय आधारित तथा अन्य संरक्षण की विधियों में से प्रत्येक पर समान तथा अधिक ध्यान देते हुए इनके बीच एक निरंतरता (कॉन्टिन्यूम) बनाए रखना सुनिश्चित करें।

4. हम यह प्रस्तावित करते हैं कि आनुवंशिक संसाधनों के लक्षणवर्णन, मूल्यांकन तथा गुणों की खोज के लिए शोधकर्ता आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करें जिनमें जीनोमिक्स, जैवप्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, अभिकलनात्मक तथा नैनो–प्रौद्योगिकी को भी यथासंभव शामिल किया जाए। इसका उद्देश्य अनिवार्य रूप से विविध कृषि उत्पादन प्रणालियों तथा भूदृश्यों के माध्यम से कुशलता, समानता, किफायती तथा पर्यावरणीय सुरक्षा को प्राप्त करना होना चाहिए।

5. हम पादप, पशु, जलजीव, सूक्ष्मजीव तथा कीट आनुवंशिक संसाधनों के वैश्विक आदान प्रदान की जरूरत पर पुनः महत्व देते हैं जिससे कृषि तथा हमारे आहार पात्र (फूड बॉस्केट) में विविधता लाई जा सके तथा सभी देशों की दिन प्रतिदिन बढ़ती खाद्य तथा पोषणिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसे सुनिश्चित करने के लिए, समान पहुंच (एक्सेस) तथा लाभ प्राप्ति के अवसरों को सुनिश्चित करते समय आनुवंशिक संसाधनों के आदान प्रदान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बहुपक्षीय (खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवंशिक संसाधनों की अंतरराष्ट्रीय संधि के (इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जैनेटिक रिसोरसिस फार फूड एण्ड एग्रीकल्चर के अनुसार) तथा द्विपक्षीय (नागोया प्रोटोकॉल के अनुसार) साधनों को प्रोत्साहित करने की जरूरत होगी।

6. राष्ट्रों से यह आशा भी की जाती है कि वे अपनी मौजूदा जैव सुरक्षा प्रणालियों जिसमें पादप स्वच्छता (फाइटोसेनेटरी) तथा संगरोध (क्वारेंटाइन) सम्मिलित है, में सामंजस्य लाएं तथा जननद्रव्य (जर्मप्लाज्म) के सुरक्षित सीमापार आवागमन की सुविधा देने की अपनी क्षमता में वृद्धि करें।

7. हम यह भी आशा करते हैं कि कृषि जैवविविधता के प्रभावी तथा कुशलतम उपयोग को बढ़ाने के लिए सरकार तथा नागरिक समितियों (सिविल सोसाइटी) द्वारा कृषि जैवविविधता के संरक्षण पर आम जागरूकता तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

8. हम यह अनुग्रह भी करते हैं कि कृषि जैवविविधता के विशेष स्थलों (हॉट स्पॉट) पर विशेष जोर देते हुए पहले से चल रहे संसाधन संरक्षण तथा प्रबंधन प्रयासों की निगरानी में सहायता के लिए एक एग्रोबॉयोडाइवर्सिटी इंडेक्स (कृषि जैवविविधता सूचकांक) विकसित कर उसे क्रियान्वित किया जाए।

9. यह आग्रह भी है कि कुपोषण को दूर करने, खेतों तथा किसान परिवारों की उत्पादकता तथा लचीलेपन को बढ़ाने तथा परितंत्र सेवाओं में वृद्धि हेतु कृषि जैवविविधता के उपयोग के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के साथ साथ नागरिक समितियों को भी सक्रिय तौर पर निवेश करने हेतु प्रोत्साहन दिया जाए। ऐसे प्रयासों के फलस्वरूप, विशेषकर महिलाओं तथा युवाओं सहित, सभी को समान लाभ और अवसर प्राप्त होना चाहिए।

10. हम विभिन्न देशों से यह आग्रह करते हैं कि कृषि जैवविविधता के संरक्षण और उसके उपयोग में सहायता हेतु निवेश बढ़ाकर वे अनुसंधान तथा प्रसार कार्य की अपनी प्राथमिकताओं को फिर से तय करें। इसके अलावा, हम यह पुरजोर सिफारिश करते हैं कि वैज्ञानिक विधि से स्व–स्थाने (इन–सिटू) तथा वाह्य–स्थाने (एक्स–सिटू) संरक्षण तथा कृषि जैवविविधता के बढ़ते उपयोग के लिए विभिन्न देशों और समुदायों की सहायता के एक तंत्र के रूप में एक अंतरराष्ट्रीय कृषि जैवविविधता निधि (इंटरनेशनल एग्रोबायोडायवर्सिटी फंड) सृजित की जाए।

11. हम संयुक्त राष्ट्र से यह अनुरोध करते हैं कि सारे विश्व का ध्यान आकर्षित करने तथा वैश्विक समुदाय द्वारा आनुवंशिक संसाधनों के कुशल प्रबंधन हेतु तत्काल कार्रवाई करने के लिए एक 'कृषि जैवविविधता वर्ष' घोषित करने पर विचार करे।

12. अंत में, हम यह सिफारिश भी करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय कृषि जैवविविधता कांग्रेस प्रत्येक चार वर्ष में एक बार आयोजित की जानी चाहिए तथा 2016 में प्राप्त मोमेंटम (गति) को बनाए रखने तथा 'कृषि जैवविविधता प्रबंधन पर दिल्ली घोषणा' के क्रियान्वयन की आवश्यकता पर जोर देने तथा विभिन्न पक्षों तथा देशों द्वारा इस बारे में की गई प्रगति की निगरानी के लिए बॉयोवर्सिटी इंटरनेशनल को समन्वयक की भूमिका निभानी चाहिए।

प्रतियां निम्न स्थानों पर उपलब्ध :

बॉयोवर्सिटी इंटरनेशनल

जी–1, बी– ब्लॉक, एनएएससी काम्प्लेक्स
डीपीएस मार्ग, पूसा परिसर
नई दिल्ली – 110 012, भारत
वैबसाइटः www.bioversityinternational.org
ई–मेलः bioversity-india@cgiar.org

इंडियन सोसाइटी ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज

C/o आईसीएआर–नेशनल ब्यूरो ऑफ
प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज (एनबीपीजीआर)
पूसा कैम्पस, नई दिल्ली – 110 012, भारत
वैबसाइटः www.ispgr.nbpgr.ernet.in/
ई–मेलः ispgr2015@gmail.com